अनुदान संख्या 92 – वस्त्र मंत्रालय
GRANT No. 92–MINISTRY OF TEXTILES

			कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	**Revenue:**				
स्वीकृत-	Voted–				
मूल	Original	1325,93,00	1325,98,00	1086,43,20	–239,54,80
पूरक	Supplementary	5,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				197,11,27
पूंजीगत:	**Capital:**				
प्रभारित-	*Charged–*		*70,00*	*70,00*	. .
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	*Amount surrendered during the year*				*शून्य Nil*
स्वीकृत-	Voted–		454,68,00	403,17,99	–51,50,01
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				48,96,00

टीका और टिप्पणियां

Notes and comments

1. अनुदान के राजस्व भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

1. In the revenue section of the grant, savings/ excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "2552"	Major Head "2552"				
उत्तर पूर्वी क्षेत्र	North Eastern Areas				
मू.	O.	8360.00	. .	. .	. .
पु.	R.	–8360.00			
मुख्य शीर्ष "2851"	Major Head "2851"				
ग्राम तथा लघु उद्योग	Village and Small Industries				
मू.	O.	43042.00			
पू.	S.	3.00	39876.92	36930.48	–2946.44
पु.	R.	–3168.08			

शीर्ष	Head			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
						(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "2852" उद्योग	Major Head "2852" Industries					
मू.	O.	67569.00				
पू.	S.	2.00		56300.12	56079.53	–220.59
पु.	R.	–11270.88				
मुख्य शीर्ष "3451" सचिवालय - आर्थिक सेवाएं	Major Head "3451" Secretariat-Economic Services					
मू.	O.	820.00				
				742.08	658.71	–83.37
पु.	R.	–77.92				
मुख्य शीर्ष "3601" राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3601" Grants-in-aid to State Governments					
मू.	O.	12552.00				
				15629.12	14818.65	–810.47
पु.	R.	3077.12				

(I) 9206.00 लाख रु. का प्रावधान आठ शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा, जिसमें से 8960.00 लाख रु. निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:-

(I) Provision of Rs.9206.00 lakhs remained wholly unutilised under eight heads; of these Rs.8960.00 lakhs accounted for under the following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष "2552" - "अन्य व्यय - सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों के लिए प्रावधान" - 8360.00 लाख रु. पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर होने वाले व्यय को कार्यात्मक शीर्षों से पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आंशिक उपयोग किए जाने और व्यपगत न होने वाले पूल को शेष निधियां अभ्यर्पित किए जाने के कारण थे।

(A) Major Head "2552" - "Other Expenditure-Provision for Projects/Schemes for the benefit of North Eastern States including Sikkim" - Rs.8360.00 lakhs - due to utilisation of part funds by re-appropriation to functional heads for incurring expenditure on Projects/Schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of remaining funds to non-lapsable pool.

(खा) मुख्य शीर्ष "2851 - "पावरलूम उद्योग - ग्रुप वर्कशेड स्कीम" - 600.00 लाख रु. परियोजनाओं के कार्यान्वयन के

(B) Major Head "2851"-"Powerloom Industries - Group Workshed Scheme" – Rs.600.00 lakhs - due to non-payment owing to

विभिन्न चरणों में होने की वजह से अदायगी न किए जाने के कारण थे।

(II) मुख्य शीर्ष ''3451''- ''सचिवालय - वस्त्र मंत्रालय'' के अंतर्गत 104.15 लाख रु. की बचत (720.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों के न भरे जाने और किफायती उपायों के कारण हुई।

(III) मुख्य शीर्ष ''2851'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) ''हथकरधा उद्योग'' -

(क) ''बुनकर सेवा केन्द्र'' - 274.66 लाख रु. की बचत (1698.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) बुनकर सेवा केंद्रों से व्यवहार्य प्रस्ताव प्राप्त न होने और किफायती उपयों के कारण हुई।

(ख) ''डिजाइन विकास और प्रशिक्षण कार्यक्रम'' - 1436.89 लाख रु. की बचत (1740.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) उपयोग प्रमाण पत्र और कार्यान्वयन अभिकरणों से व्यवहार्य प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण हुई।

(ग) ''वस्त्रों तथा वस्त्र मदों पर उत्पाद शुल्क और अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाए जाने के कारण केनवेट की राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम को प्रतिपूर्ति'' - 2022.08 लाख रु. की बचत (2500.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) 9.7.2004 से चरखी अट्टी (प्लेनरील हैंक) में लपेटे जाने वाले सूती सेल्युलोसिक स्पन यार्न पर अनिवार्य उत्पाद शुल्क समाप्त किए जाने के कारण हुई।

(घ) ''बुनकर बीमा योजना'' - 300.00 लाख रु. की बचत (450.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) प्रीमियम के केंद्रीय भाग के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम के पास उपलब्ध अव्ययित शेष को समायोजित किए जाने के कारण हुई।

(ङ) ''एकीकृत हथकरघा प्रशिक्षण परियोजना'' - 840.14 लाख रु. की बचत (2435.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) लक्ष्य को 20,000 प्रशिक्षणार्थियों से कम करके 15,000 प्रशिक्षणार्थी किए जाने और साथ ही स्कीम को विलंब से प्रवर्तित किए जाने के कारण हुई।

projects being at different stages of implementation.

(II) Under Major Head “3451” - “Secretariat-Ministry of Textiles” - saving of Rs.104.15 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.720.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts and economy measures.

(III) Under Major Head “2851” – savings occurred under the following heads:-

(A) “Handloom Industries”-

(a) “Weavers Service Centre” - saving of Rs.274.66 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1698.00 lakhs) was due to non-receipt of viable proposals from the Weavers Service Centres and economy measures.

(b) “Design Development and Training Programme” - saving of Rs.1436.89 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1740.00 lakhs) was due to non-receipt of utilisation certificates and viable proposals from implementing agencies.

(c) “Re-imbursement of CENVAT on account of imposition of excise duty and additional excise duty on Textiles and Textiles articles to National Handloom Development Corporation” - saving of Rs.2022.08 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2500.00 lakhs) was due to abolition of mandatory excise duty on Cotton Cellulosic Spun Yarn packed in plain reel hank from 9.7.2004.

(d) “Bunkar Bima Yojana” - saving of Rs.300.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.450.00 lakhs) was due to adjustment of unspent balance lying with Life Insurance Corporation of India towards central share of premium.

(e) “Integrated Handloom Training Project” - saving of Rs.840.14 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2435.00 lakhs) was due to reduction of targets from 20,000 to 15,000 trainees and also on account of late introduction of the scheme.

(खा) ''हस्तशिल्प उद्योग'' -

(क) ''हस्तशिल्पों के लिए विकास आयुक्त'' - 145.67 लाख रु. की बचत (467.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(ख) ''विपणन और सेवा विस्तार केन्द्र'' - 139.05 लाख रु. की बचत (696.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें किफायती उपायों के कारण हुईं।

(ग) ''प्रशिक्षण और विस्तार'' - 829.60 लाख रु. की बचत (2672.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) किफायती उपायों, प्रशासनिक कारणों की वजह से आश्वासित कैरियर प्रोन्नति स्कीम को मंजूरी प्रदान न किए जाने, विभागीय प्रशिक्षण केन्द्रों को बंद किए जाने तथा कम दौरे किए जाने के कारण हुई।

(घ) ''डिजाइन और तकनीकी उन्नयन'' - 1361.78 लाख रु. की बचत (दिसंबर, 2004 में प्राप्त किए गए 0.10 लाख रु. के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित 4735.10 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) किफायती उपयों को अपनाए जाने, आश्वासित कैरियर प्रोन्नति स्कीम को मंजूरी प्रदान न किए जाने और भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान को श्रीनगर तथा जयपुर में अपने निजी भवनों में स्थापित किए जाने को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(ङ) ''निर्यात संवर्धन'' - 462.92 लाख रु. की बचत (1537.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) प्रशासनिक कारणों की वजह से एकीकृत वित्त स्कंध द्वारा इंडिया एक्पोजिशन मार्ट लिमिटेड के लिए प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान न किए जाने के कारण हुई।

(च) ''अनुसंधान और विकास'' - 121.14 लाख रु. की बचत (दिसंबर, 2004 में प्राप्त किए गए 0.10 लाख रु. के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित 290.10 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) समय पर प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण हुई।

(छ) ''शिल्पकारों के लिए बीमा योजना स्कीम'' - 187.50 लाख रु. की बचत (250.00 लाख रु. के स्वीकृत

(B) "Handicraft Industries"-

(a) "Development Commissioner for Handicrafts" - saving of Rs.145.67 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.467.00 lakhs); and

(b) "Marketing and Service Extension Centres"- saving of Rs.139.05 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.696.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to economy measures.

(c) "Training and Extension" – saving of Rs.829.60 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2672.00 lakhs) was due to economy measures, non-clearance of Assured Career Progression Scheme owing to administrative reasons, closure of Departmental Training Centres and less tours.

(d) "Design and Technical Upgradation" - saving of Rs.1361.78 lakhs (against the total sanctioned provision of Rs.4735.10 lakhs including token supplementary grant of Rs.0.10 lakh obtained in December, 2004) was due to economy measures, non-clearance of Assured Career Progression Scheme and non-finalising of setting up of Indian Institute of Carpet Technology at Srinagar and Jaipur in their own buildings.

(e) "Export Promotion" - saving of Rs.462.92 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1537.00 lakhs) was due to non-clearance of proposals for India Exposition Mart Limited by Integrated Finance Wing owing to administrative reasons.

(f) "Research and Development" - saving of Rs.121.14 lakhs (against the total sanctioned provision of Rs.290.10 lakhs including token supplementary grant of Rs.0.10 lakh obtained in December, 2004) was due to non-receipt of proposals in time.

(g) "Bima Yojana Scheme for Artisans" - saving of Rs.187.50 lakhs (against the

प्रावधान की तुलना में) बीमा के लिए पर्याप्त संख्या में आवेदन प्राप्त न होने के कारण हुई।

(गा) ''अन्य व्यय - ऊन विकास बोर्ड'' - 1226.77 लाख रु. की बचत (1290.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) ऊन विकास बोर्ड के पास उपलब्ध अव्ययित शेष का समायोजन किए जाने के कारण हुई।

(IV) मुख्य शीर्ष ''2852'' - ''उपभोक्ता उद्योग'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) ''वस्त्र'' -

(क) ''वस्त्र आयुक्त'' - 180.47 लाख रु. की बचत (1097.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) किफायती उपायों के कारण हुई।

(ख) ''अनुसंधान और विकास के लिए सहायता'' - 812.59 लाख रु. की बचत (मार्च, 2005 में प्राप्त किए गए 0.60 लाख रु. के पूरक अनुदान सहित 5224.60 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(ग) ''वस्त्र प्रबंधन संस्थान'' - 234.00 लाख रु. की बचत (325.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें कार्यान्वयन अभिकरणों से कम मांग प्राप्त होने के कारण हुईं।

(घ) ''वस्त्र पर उपकर संग्रहण के लिए वस्त्र समिति को अदायगी'' - 1575.00 लाख रु. की बचत (2100.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वस्त्र समिति, मुंबई के पास पर्याप्त निधियों की उपलब्धता होने के कारण हुई।

(ङ) ''वस्त्र श्रमिक पुनर्वास स्कीम'' - 695.90 लाख रु. की बचत (1500.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्य सरकारों से कम संख्या में आवेदन प्राप्त होने के कारण हुई।

(च) ''प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि स्कीम'' - 5639.64 लाख रु. की बचत (34000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान

sanctioned provision of Rs.250.00 lakhs) was due to non-receipt of adequate number of applications for insurance.

(C) "Other Expenditure - Wool Development Board"- saving of Rs.1226.77 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1290.00 lakhs) was due to adjustment of unspent balance lying with the Wool Development Board.

(IV) Under Major Head "2852" - "Consumer Industries" - savings occurred under the following heads:-

(A) "Textiles"-

(a) "Textile Commissioner" - saving of Rs.180.47 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1097.00 lakhs) was due to economy measures.

(b) "Assistance for Research and Development"- saving of Rs.812.59 lakhs (against the total sanctioned provision of Rs.5224.60 lakhs including supplementary grant of Rs.0.60 lakh obtained in March, 2005); and

(c) "Institute of Textiles Management"- saving of Rs.234.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.325.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to less demand from the implementing agencies.

(d) "Payments to Textile Committee against Collection of Cess on Textile"- saving of Rs.1575.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2100.00 lakhs) was due to availability of sufficient funds with the Textile Committee, Mumbai.

(e) "Textile Labour Rehabilitation Scheme"- saving of Rs.695.90 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1500.00 lakhs) was due to receipt of less number of applications from State Governments.

(f) "Technology Upgradation Fund Scheme (TUFS)"- saving of Rs.5639.64 lakhs

की तुलना में) किफायती उपायों तथा वस्त्र आयुक्त कार्यालय द्वारा कम मांग प्राप्त होने के कारण हुई।

(छ) ''परिधान निर्यात वस्त्र पार्क के लिए स्कीम'' - 800.00 लाख रु. की बचत (3000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(ज) ''वस्त्र उत्पादन केंद्र का आधारभूत उन्नयन'' - 2000.00 लाख रु. की बचत (3000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें वित्त मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार अंतिम तिमाही में बजट अनुमान के 33 प्रतिशत तक व्यय को प्रतिबंधित किए जाने के कारण हुईं।

(खा) ''अन्य - जूट'' - 240.56 लाख रु. की बचत (दिसंबर, 2004 में प्राप्त किए गए 1.00 लाख रु. के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित 8346.00 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सक्षम प्राधिकारी द्वारा जूट प्रौद्योगिकी मिशन स्कीम को अनुमोदित न किए जाने के कारण हुई।

(V) मुख्य शीर्ष ''3601'' - ''योजनेतर अनुदान - ग्राम तथा लघु उद्योग - हथकरघा उद्योग'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं :-

(का) ''वस्त्र और वस्त्र मदों पर उत्पाद शुल्क और अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाए जाने के कारण केनवैट की प्रतिपूर्ति'' - 2453.88 लाख रु. की बचत (2480.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) 9.7.2004 से सादा चरखी अट्टी (प्लेन रील हैंक) में लपेटे जाने वाले सूती और सेल्युलोसिक स्पन यार्न पर उत्पाद शुल्क समाप्त किए जाने के करण हुई।

(खा) ''हथकरघा वस्त्रों की बिक्री पर हथकरधा अभिकरणों द्वारा दी गई 10% की दर पर एक बार की छूट की प्रतिपूर्ति संबंधी स्कीम'' - 873.37 लाख रु. की बचत (4675.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्यान्वित करने वाली राज्य सरकारों से कम मांग प्राप्त होने और कम व्यवहार्य प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुई।

(VI) पांच शीर्षों के अंतर्गत 321.73 लाख रु. की बचत हुई जो प्रत्येक में 50.00 लाख रु. से अधिक और 100.00 लाख

(against the sanctioned provision of Rs.34000.00 lakhs) was due to economy measures and less demand received by the Textile Commissioner Office.

(g) "Scheme for Apparel Export Textiles Park"– saving of Rs.800.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.3000.00 lakhs); and

(h) "Upgrading Infrastructure of Textiles Growth Centre"- saving of Rs.2000.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.3000.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to restriction of expenditure up to 33 percent of the budget estimates in the last quarter as per the directions of Ministry of Finance.

(B) "Others - Jute"- saving of Rs.240.56 lakhs (against the total sanctioned provision of Rs.8346.00 lakhs including token supplementary grant of Rs.1.00 lakh obtained in December, 2004) was due to non-approval of Jute Technology Mission Scheme by the competent authority.

(V) Under Major Head "3601" - "Non-Plan Grants-Village and Small Industries-Handloom Industries"- savings occurred under the following heads:-

(A) "Reimbursement of CENVAT on account of imposition of excise duty and additional excise duty on Textiles and Textiles articles"- saving of Rs.2453.88 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2480.00 lakhs) was due to abolition of excise duty on Cotton and Cellulosic Spun Yarn packed in plain reel hank w.e.f. 9.7.2004.

(B) "Scheme for reimbursement of one time rebate @ 10% given by the Handloom agencies on sale of Handloom cloth"-saving of Rs.873.37 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.4675.00 lakhs) was due to less demand from implementing State Governments and less receipt of viable proposals.

(VI) Under five heads savings of Rs.321.73 lakhs occurred, each exceeding Rs.50.00 lakhs but not exceeding Rs.100.00 lakhs and constituting

रु. से कम और स्वीकृत प्रावधान का 15 प्रतिशत से 83 प्रतिशत तक थी।

2.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (5657.75 लाख रु.) प्रयुक्त हो गईं जैसाकि दिसंबर, 2004 और मार्च, 2005 में निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत 5.00 लाख रु. का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था :-

(का) मुख्य शीर्ष ''2851'' -

(क) ''हथकरधा उद्योग'' -

(i) ''मिल गेट कीमत स्कीम'' - 349.50 लाख रु.।

(ii) ''विपणन संवर्धन कार्यक्रम'' - 159.85 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 142.26 लाख रु. था।

(ख) ''हस्तशिल्प उद्योग'' -

(i) ''बाबा साहेब अम्बेडकर हस्तशिल्प योजना'' - 497.70 लाख रु.। तथापि , वास्तविक अधिक व्यय 273.28 लाख रु. था।

(ii) ''विपणन सहायता और सेवाएं'' - 631.80 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 334.25 लाख रु. था।

(ग) ''रेशम उत्पादन उद्योग - केंद्रीय सिल्क बोर्ड'' 3019.30 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 3018.80 लाख रु. था।

(खा) मुख्य शीर्ष ''2852'' - ''उपभोक्ता उद्योग - वस्त्र - कीमत समर्थन के अंतर्गत भारतीय कपास निगम द्वारा कपास की अधिप्राप्ति''- 999.60 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 999.20 लाख रु. था।

(II) उपर्युक्त बचतें मुख्य शीर्ष ''3601'' - ''केंद्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान - ग्राम तथा लघु उद्योग- हथकरधा उद्योग'' के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत प्रतिसंतुलित हो गईं:-

(का) ''कल्याण योजना के अंतर्गत हथकरधा बुनकरों को सहायता''- 208.52 लाख रु. का अधिक व्यय (600.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ; और

15 percent to 83 percent of the sanctioned provision.

2.(I) The above savings were partly (Rs.5657.75 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grants of Rs.5.00 lakhs in December, 2004 and March, 2005 under the following major heads:-

(A) Major Head “2851”-

(a) “Handloom Industries”-

(i) “Mill Gate Price Scheme”- Rs.349.50 lakhs.

(ii) “Marketing Promotion Programme”- Rs.159.85 lakhs. Actual excess, however, was Rs.142.26 lakhs.

(b) “Handicraft Industries”-

(i) “Baba Saheb Ambedkar Hastshilp Yojana”- Rs.497.70 lakhs. Actual excess, however, was Rs.273.28 lakhs.

(ii) “Marketing Support and Services”- Rs.631.80 lakhs. Actual excess, however, was Rs.334.25 lakhs.

(c) “Sericulture Industries - Central Silk Board”- Rs.3019.30 lakhs. Actual excess, however, was Rs.3018.80 lakhs.

(B) Major Head “2852”–“Consumer Industries-Textiles-Procurement of Cotton by Cotton Corporation of India under Price Support”- Rs.999.60 lakhs. Actual excess, however, was Rs.999.20 lakhs.

(II) The above savings were also offset by excess under Major Head “3601” - “Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes – Village and Small Industries – Handloom Industries” – under the following heads:-

(A) “Assistance to Handloom Weavers under Welfare Scheme”- excess of Rs.208.52 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.600.00 lakhs); and

(खा) ''वर्कशेड एवं आवास स्कीम के लिए अनुदान'' - 500.00 लाख रु. का अधिक व्यय (1000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए कार्यात्मक शीर्षों को मुख्य शीर्ष ''2552'' से निधियों का पुनर्विनियोग किए जाने के कारण हुआ।

(गा) ''दीनदयाल हथकरधा प्रोत्साहन योजना'' - 4918.69 लाख रु. का अधिक व्यय (3037.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए मुख्य शीर्ष ''2552'' से कार्यात्मक शीर्षों को निधियों का पुनर्विनियोग किए जाने और राज्य सरकारों के माध्यम से केंद्र सरकार द्वारा स्कीम का तेजी से कार्यान्वयन किए जाने से अधिक निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(III) एक शीर्ष के अंतर्गत 61.69 लाख रु. का अधिक व्यय हुआ जो स्वीकृत प्रावधान का 12 प्रतिशत था।

3. अनुदान के पूंजीगत भाग के *प्रभारित* अंश में, *20.00 लाख रु.* का *विनियोग* मुख्य शीर्ष ''4552'' - ''उत्तर पूर्वी क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय'' के अंतर्गत एक मामले में पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

4. अनुदान के पूंजीगत भाग के स्वीकृत अंश में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

(B) "Grants for Workshed-cum-Housing Scheme"- excess of Rs.500.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1000.00 lakhs).

Excess under the above two heads was due to re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilisation on Projects/Schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(C) "Deen Dayal Hathkargha Protsahan Yojana"- excess of Rs.4918.69 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.3037.00 lakhs) was due to re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilisation on Projects/Schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and more funds required as the scheme was being implemented vigoroulsy by Central Government through State Governments.

(III) Under one head excess of Rs.61.69 lakhs occurred constituting 12 percent of the sanctioned provision.

3. In the *charged* portion of the capital section of the grant, *appropriation* of *Rs.20.00 lakhs* remained wholly unutilised in one case under Major Head "4552"- "Capital Outlay on North Eastern Areas".

4. In the voted portion of the capital section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
मुख्य शीर्ष ''4552'' उत्तर पूर्वी क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4552" Capital Outlay on North Eastern Areas				
मू.	O.	400.00	. .	. .	. .
पु.	R.	–400.00			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "4851" ग्राम और लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4851" Capital Outlay on Village and Small Industries				
मू.	O.	633.00	805.00	550.99	–254.01
पु.	R.	172.00			
मुख्य शीर्ष "6860" उपभोक्ता उद्योगों के लिए कर्ज	Major Head "6860" Loans for Consumer Industries				
मू.	O.	41735.00	37067.00	37067.00	. .
पु.	R.	–4668.00			

(I) 738.00 लाख रु. का प्रावधान सात शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा, जिसमें से 600.00 लाख रु. निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए :-

(I) Provision of Rs.738.00 lakhs remained wholly unutilised under seven heads; of these Rs.600.00 lakhs accounted for under the following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष "4552" - "अन्य व्यय - पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों के लिए प्रावधान" - 400.00 लाख रु. पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ के लिए परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए कार्यात्मक शीर्षों को निधियों का पुनर्विनियोग किए जाने के कारण थे।

(A) Major Head "4552" - "Other Expenditure–Provision for Projects/Schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim" - Rs.400.00 lakhs - due to re- appropriation of funds to functional heads for utilisation on Projects/ Schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(खा) मुख्य शीर्ष "4851" - "सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रमों में निवेश - राज्य हस्तशिल्प निगम/हस्तशिल्प शीर्ष सहकारी समितियां" - 200.00 लाख रु. स्कीम को बंद कर दिए जाने के कारण थे।

(B) Major Head "4851"- "Investment in Public Sector and Other Undertakings - State Handicraft Corporations/Handicrafts Apex Co-operative Societies" - Rs.200.00 lakhs- due to closure of the scheme.

(II) मुख्य शीर्ष "6860" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(II) Under Major Head "6860"- savings occurred under the following heads:-

(का) "वस्त्र - सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रमों को कर्ज" -

(A) "Textiles-Loans to Public Sector and Other Undertakings"-

(क) ''राष्ट्रीय वस्त्र निगम'' - 4283.00 लाख रु. की बचत (30000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(ख) ''एल्जिन मिल्स कंपनी लिमिटेड'' - 350.00 लाख रु. की बचत (500.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें वित्त वर्ष की अंतिम तिमाही में कुल बजट के 33 प्रतिशत तक व्यय को प्रतिबंधित किए जाने के कारण हुईं।

(III) एक शीर्ष के अंतर्गत 79.40 लाख रु. की बचत हुई जो स्वीकृत प्रावधान का 53 प्रतिशत थी।

5. उपर्युक्त बचतें मुख्य शीर्ष ''4851'' - ''हस्तशिल्प उद्योग-पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाएं/स्कीमें'' के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गईं - 350.39 लाख रु. का अधिक व्यय (शून्य प्रावधान की तुलना में) पूर्वोत्तर क्षेत्र और स्कीम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए मुख्य शीर्ष ''4552'' से कार्यात्मक शीर्षों को निधियों का पुनर्विनियोग किए जाने के कारण हुआ।

(a) "National Textile Corporation"- saving of Rs.4283.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.30000.00 lakhs); and

(b) "Elgin Mills Company Limited"- saving of Rs.350.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.500.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to restriction of expenditure up to 33 percent of the total budget in the last quarter of the financial year.

(III) Under one head saving of Rs.79.40 lakhs occurred constituting 53 percent of the sanctioned provision.

5. The above savings were partly offset by the excess under Major Head "4851"- "Handicraft Industries-Projects/Schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim"- excess of Rs.350.39 lakhs (against nil provision) was due to re-appropriation of funds from Major Head "4552" to functional heads for utilisation on Projects/Schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.